रायपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2013

क्रमांक एफ 6-3/2008/1/एक.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 6-3/2008/1/एक, दिनांक 17-12-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. पिस्दा, सचिव.

Raipur, the 17th December 2013

NOTIFICATION

No. F 6-3/2008/1/One. — The following further amendment is being carried out in Combined Competitive Examination called "State Service Examination Rules, 2008", issued on 27th August 2008, for recruitment to different services/posts, to be held by Chhattisgarh Public Service Commission, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. After serial number 37 under the heading "Class of Service/Post", the following serial numbers, words and figures shall be added, namely :-

"38. Assistant Director, Urban Administration and Development Department II

39. Assistant Director, Social Welfare Department II"

2. For sub-clause (a) of clause (c) of Rule 5, the following shall be substituted, namely :-

"A candidate must have attained a minimum age of 21 years and must not have attained the maximum age of 30 years as on 1st January of the year of issuance of the advertisement.

Provided that for candidates domiciled/permanent residents of State of Chhattisgarh, the maximum age shall be extended to 35 years."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. PISDA, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2013.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2–22–छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30–05–2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012–2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 559] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 24 दिसम्बर 2013—पौष 3, शक 1935

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 (पौष 3, शक 1935)

अधिसूचना

क्रमांक -11954/वि. स./विधान/2013.— राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश, दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :-

"भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, शेखर दत्त, राज्यपाल, छत्तीसगढ़ एतद्द्वारा इस राज्य की विधान सभा को सोमवार, दिनांक 6 जनवरी, 2014 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से विधान सभा भवन, रायपुर में समवेत् होने के लिये आमंत्रित करता हूं.

स्थान : रायपुर
दिनांक : 24 दिसम्बर, 2013

शेखर दत्त
राज्यपाल, छत्तीसगढ़".

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2013.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2–22–छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30–05–2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012–2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 560] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 24 दिसम्बर 2013—पौष 3, शक 1935

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 16th December 2013

NOTIFICATION

No. 9003/R. G./2013. — In exercise of power conferred under section 28 of Right to Information Act, 2005, the High Court of Chhattisgarh hereby makes the following amendments in Rule 3 of Chapter-II (Procedure for Application and its Disposal) of Chhattisgarh High Court, Right to Information Rules, 2005 as well as in Rule 3 of Chapter-II (Procedure for Application and its Disposal) of District Court Right to Information Rules, 2005, which shall come into force from the date of publishing in Chhattisgarh Gazette.

AMENDMENTS

Following shall be substituted in place of Rule 3 of Chapter-II (Procedure for Application and its Disposal) of Chhattisgarh High Court, Right to Information Rules, 2005 as well as in Rule 3 of Chapter-II (Procedure for Application and its Disposal) of District Court Right to Information Rules, 2005 :-

3. To get information under the Right to Information Act, a self-signed application in Form-A shall be produced before the Public Information Officer affixing Court fee of Rs. 12/- (Rupees Twelve only) on the said application. A request in writing for information under this Rule shall relate to one subject matter and it shall not ordinarily exceed one hundred and fifty words. If an applicant wishes to seek information on more than one subject matter, he shall make separate applications. If the applicant desires to get the information by post he shall send a copy of self addressed registered envelop bearing necessary postal stamps alongwith the application.

By order of Hon'ble the High Court,
ASHOK KUMAR PANDA, Registrar General.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2013.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 563] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 24 दिसम्बर 2013—पौष 3, शक 1935

LAW AND LEGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur

Raipur, the 13th December 2013

ORDER

No.11451/4192/XXI-B/2013. — In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 and on the recommendation of Hon'ble High Court of Chhattisgarh, the State Government, hereby appoints Shri Vijendra Sonwani S/o. Shri Gorelal Sonwani (Category-Scheduled Caste Merit No. 26) on the Post of Civil Judge (Entry Level) in Junior Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 under clause (a) of sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date he assumes charge of his office.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SUSHMA SAWANT, Additional Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2013.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़ / दुर्ग / 09 / 2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 571] रायपुर, सोमवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2013—पौष 9, शक 1935

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, सोमवार, दिनांक 30 दिसम्बर, 2013 (पौष 9, शक 1935)

अधिसूचना

क्रमांक -12070/वि. स./विधान/2013.— राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश, दिनांक 26 दिसम्बर, 2013 सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है -

" संविधान के अनुच्छेद 188 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, शेखर दत्त, छत्तीसगढ़ का राज्यपाल, श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य, छत्तीसगढ़ विधानसभा को ऐसे व्यक्ति के रूप में नियुक्त करता हूं, जिसके समक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य शपथ ले सकेंगे या प्रतिज्ञान कर सकेंगे.

अध्यक्ष का निर्वाचन होने के उपरांत निर्वाचित अध्यक्ष तथा उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो तथा सत्र की बैठक चल रही हो, तब ऐसे व्यक्ति को जो संविधान के अनुच्छेद 180 (2) के अधीन सभा की कार्यवाही का संचालन कर रहा हो, को ऐसा व्यक्ति नियुक्त करता हूं, जिसके समक्ष विधान सभा के सदस्य उक्त अनुच्छेद के अन्तर्गत शपथ ले सकेंगे या प्रतिज्ञान कर सकेंगे.

स्थान : रायपुर
दिनांक : 26 दिसम्बर, 2013

शेखर दत्त
राज्यपाल, छत्तीसगढ़".

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2013.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 33 सि.से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़ / दुर्ग / 09 / 2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 573] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2013—पौष 10, शक 1935

गृह विभाग, सी-अनुभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-319/गृह-सी/2005 .— चूंकि राज्य सरकार के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व सांप्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए एवं लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिए सक्रिय है या उनके सक्रिय हो जाने की संभावना है ;

और चूंकि जिला दण्डाधिकारी, जिला रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, रायगढ, सरगुजा, जशपुर, कोरिया, जांजगीर-चांपा, कोरबा, कबीरधाम, महासमुंद, धमतरी, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, उत्तर बस्तर कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, कोण्डागांव, बलौदाबाजार, गरियाबंद, बेमेतरा, बालोद, मुंगेली, सूरजपुर, बलरामपुर की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार को, यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है ;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 (1980 का सं. 65) की धारा-3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला दण्डाधिकारी, जिला रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, रायगढ, सरगुजा, जशपुर, कोरिया, जांजगीर-चांपा, कोरबा, कबीरधाम, महासमुंद, धमतरी, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, उत्तर बस्तर कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, कोण्डागांव, बलौदाबाजार, गरियाबंद, बेमेतरा, बालोद, मुंगेली, सूरजपुर, बलरामपुर को यदि उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है, तो उक्त धारा 3 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, 01 जनवरी, 2014 से 31 मार्च, 2014 तक की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2013

क्रमांक एफ-4-319/गृह-सी/2005 .— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 31-12-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

Raipur, the 31st December 2013

NOTIFICATION

No. F-4-319/Home-c/2005 . — Whereas, there are reports with the State Government that certain elements are active or are likely to be active to threaten the communal harmony and to commit any act prejudicial to the maintenance of public order, and to commit acts prejudicial to the security of state ;

And whereas, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the local limits of jurisdiction of the All District Magistrate, Dirstrict Raipur, Bilaspur, Rajnandgaon, Durg, Raigarh, Surguja, Jashpur, Koria, Janjgir-Champa, Korba, Kabirdham, Mahasamund, Dhamtari, Jagdalpur, Dantewada, Kanker, Bijapur, Narayanpur, Sukma, Kondagaon, Balodabazar, Gariyaband, Bemetara, Balod, Mungeli, Surajpur, Balrampur the state Government is satisfied that it is necessary so to do ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by the provision to sub section (3) of section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, District Raipur, Bilaspur, Rajnandgaon, Durg, Raigarh, Surguja, Jashpur, Koria, Janjgir-Champa, Korba, Kabirdham, Mahasamund, Dhamtari, Jagdalpur, Dantewada, Kanker, Bijapur, Narayanpur, Sukma, Kondagaon, Balodabazar, Gariyaband, Bemetara, Balod, Mungeli, Surajpur, Balrampur may during the period From Ist January, 2014 to 31st March, 2014, if satisfied as provided in sub section (2) of the said section 3, exercise the power conferred by sub-section (2) of the said section 3.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. K. MATHUR, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2013.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015"

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 575] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2013 — पौष 10, शक 1935

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ -5-12/आठ-परि./2013. — केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 118 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि :-

1. परिवहन यानों के निम्नलिखित वर्ग स्पीड गवर्नर (गति नियंत्रक उपकरण) लगाने हेतु नियम 118 में विनिर्दिष्ट मानक के अनुसार होंगे, अर्थात् :-
   - (एक) प्रक्रम वाहनें ;
   - (दो) संविदा वाहनें, जो 7+1 बैठक क्षमता से अधिक है ;
   - (तीन) मैक्सी - केब;
   - (चार) शैक्षणिक संस्था बसें/शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा किराये पर ली गई बसें ;
   - (पांच) निजी सेवा वाहनें (परिवहन);
   - (छः) औद्योगिक बसें (परिवहन);
   - (सात) मोटर - कैब;
   - (आठ) पर्यटक यान जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उप-धारा (9) के अंतर्गत जारी अनुज्ञापत्र से आच्छादित हैं ;
   - (नौ) मालयान, विनिर्दिष्ट माल वाहनों को छोड़कर.

2. गति नियंत्रक निम्नानुसार लगाये जायेंगे :-
   - (एक) अरजिस्ट्रीकृत परिवहन यानें, पंजीकरण के समय, दिनांक 1-10-2013 से प्रभावी होंगी.
   - (दो) रजिस्ट्रीकृत परिवहन यानें उपयुक्तता प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के समय दिनांक 31-5-2014 से प्रभावी होंगी.
   - (तीन) छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवेश करते समय अन्य राज्य की परिवहन यानें दिनांक 30-11-2013 से प्रभावी होंगी.

3. संबंधित पंजीयक प्राधिकारी यह समाधान करेगा कि केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम - 118 में विनिर्दिष्ट मानक के अनुसार परिवहन यान में गति नियंत्रक लगाया गया है.

No. F-5-12/viii-Trans/2013. — The State Government, in exercise of the powers conferred by rule 118 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989, hereby, notifies that :-

1. The following category of transport vehicles shall be fitted with a Speed Governor (speed limiting device) confirming to the standards specified in rule 118, namely :-
   (i) Stage Carriages;
   (ii) Contract Carriages with seating capacity exceeding 7+1;
   (iii) Maxi-Cabs;
   (iv) Educational Institutional Buses/buses hired by Educational Institutions;
   (v) Private service vehicles (Transport);
   (vi) Omni Buses (Transport);
   (vii) Motor-Cabs ;
   (viii) Tourist vehicles covered by permits issued under sub-section (9) of section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988;
   (ix) Goods vehicles except 3 wheeler goods vehicles;

2. The speed Governor shall be fitted in respect of :-
   (i) Unregistered transport vehicles at the time of registration, with effect from 01-10-2013.
   (ii) Registered transport vehicles at the time of renewal of fitness certificate, with effect from 31-05-2014.
   (iii) Transport Vehicles from other States entering into the State of Chhattishgarh with effect from 30-11-2013.

3. The concerned registering authority shall confirm whether the speed governor fitted in the transport vehicle conform to the standards specified in rule 118 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ईमिल लकड़ा, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित -2013.

राजपत्रित

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 जून 2011—ज्येष्ठ 13, शक 1933

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 मई 2011

क्रमांक एफ 1-2/2011/1-सूअप्र.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ 7-16/2005/1/6 दिनांक 22 अक्टूबर, 2005 के अनुक्रम में राज्य शासन, एतद्द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 24 (4) के तहत छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग की "सी शाखा" को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों से छूट प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.